Uttar Pradesh State during 1968-69; and

(b) the number of villages and towns which have already been elcctrified during the last 3 years with details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) About 1,000 villages and towns are likely to be electrified in Uttar Pradesh during 1968-69;

(b) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2298/68.]

Revision in Bhakra Electricity Rates

1899. SHRI VISHVA NATH PANDEY: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 522 on the 19th August, 1968 and state:

(a) whether any decision has since been taken on the request of the Punjab Government to revise the rates of Bhakra Electricity supplied by Punjab to Delhi and Nangal Fertilizers Factory;

(b) if so, the nature thereof; and

(c) if not, when a decision is likely to be taken in the matter?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) Revised rate for supply of power to the Nangal Fertilizer Factory is under negotiation. As regards the rates for Delhi, the matter is under examination by the Bhakra Management Board.

(b) Does not arise.

(c) As the issues involved are intricate, it will take some time before a final decision is taken in the matter.

Flood Relief Works in U.P.

1900. SHRI VISHWA NATH PANDEY: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the details of the flood relief works carried out under the Third Five Year Plan in 1967-68 and in 1968-69 so far indicating the cost of each work in Uttar Pradesh State;

(b) the loss and damage by the floods in the State of Uttar Pradesh during the last three years as compared to the figures of this year; and

(c) the details of flood control works proposed to be taken up in Uttar Pradesh this year and details of the flood control Schemes if any, proposed to be included in the State Fourth Plan?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-2299/68].

विभिन्न फारमों तथा प्रपत्रों को हिन्दी में छापना

1901. श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में गृह-कार्य मंत्रालय का दिनांक 6 जुलाई, 1968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 29 68—ओ० एल० प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन के पैराग्राफ संख्या 3 से 7 के अनुसार क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) उनके मंत्रालय तथा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों और संस्थानों ने गत अगस्त-सितम्बर में कितनी निविदाओं, करारों लाइसेंसों, परमिटों, अधिसूचनाओं तथा सरकारी प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन किया है ; और

(घ) श्रेणी एक के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो न तो हिन्दी जानते हैं और न ही इस प्रयोजन के लिये की गई वर्तमान व्यवस्था में नियमित रूप से हिन्दी सीखने जाते हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रखदी जायेगी।

पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के उत्पादों तथा उपोत्पादों का उपयोग

1902. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री जि० ब० सिंह :

क्या पट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रो-रसायन उद्योग समूह के विभिन्न उत्पादों तथा उपोत्पादों का उचित उपयोग नहीं किया जाता है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

कृषकों को सहायता की राशि

1903. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन के लिये दी जाने वाली बिजली की दरों को कम करने के लिये कृषकों को राजकीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कब से दी जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री लिंगेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). एक अप्रैल, 1966 से भारत सरकार ने कृषि के लिए दी जाने वाली बिजली के लिए, इस की दर 12 पैसे प्रति यूनिट से जितनी अधिक है, उतनी सीमा तक उपदान देना स्वीकार कर लिया है। उपदान की राशि केन्द्रीय तथा संबद्ध राज्य सरकार द्वारा आधी-आधी दी जाएगी। स्कीम का ब्यौरा तारांकित प्रश्न सं० 268 के उत्तर में 30-11-67 को लोक सभा के सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है।